संख्याः— 5482 / II—2006—03(15) / 03

प्रेषक,

टीकम सिह पंवार
संयुक्त सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरॉचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक 17 नवम्बर, 2006

विषयः— 12 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों के अन्तर्गत वित्त पोषणीय योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2006—07 में प्रशासनिक, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—4036 / मुअवि / बजट / 12वां वित्त आयोग, दिनांक—29.08.06 एवं संख्या—4097 / मुअवि / बजट / बी—1 योजना दि0—31.08.06 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानान्तर्गत वित्त पोषण हेतु संलग्नक में अंकित अनावासीय भवनों की मरम्मत के 06 योजनायें रू0—392.91 लाख की लागत के आगणनों पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0—266.07 लाख (रूपये दो करोड़ छासठ लाख सात हजार मात्र) की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ—साथ रू0—266.07 लाख (रूपये दो करोड़ छासठ लाख सात हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की अनुमति भी निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :—

1— उक्त अनावासीय भवनों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन योजनाओं के आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2— 12 वें वित्त आयोग के अनुदानान्तर्गत केवल अनावासीय भवनों की मरम्मत का कार्य ही कराया जाय। इस मद से कोई नवीन कार्य अथवा सड़क निर्माण कार्य कराया जाना अनुमन्य नहीं है।

3— उक्त कार्यो के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देशों का पालन किया जाय।

4— स्वीकृत की जा रही योजनाओं का कार्य दिनांक—31.03.07 तक पूर्ण किया जाय और पूर्ण करके कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र वित्त आयोग प्रकोष्ठ तथा शासन को दिनांक 31.3.07 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5— कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

6— आगणनों में उल्लिखित दरों का दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित कराया जाय। जो दरें शिडूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति भी नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त की जाय।

...............2

7-- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होंगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

8-- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

9-- एक मुस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

10-- कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर एवं सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

11-- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भान्ति निरीक्षण उच्चाधिकारियों से अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

12-- निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग कराकर उपयुक्त पायी जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

13-- धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष-2006-07 की अनुदान सं0-07 के लेखाशीर्षक 2059-लोक निर्माण कार्य, 80-सामान्य, आयोजनेत्तर 053-रख रखाव तथा मरमम्त, 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01-12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण-29 अनुरक्षण के नाम में डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या-1041/XXVII(2)/2006 दि0-7.11.06 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

5482
संख्याः- /II-2006-03(15)/03 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, सिंचाई, उत्तरांचल।
2-- महालेखाकार, उत्तरॉचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3-- वित्त अनुभाग-2 ।
4-- वित्त आयोग प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
5-- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, चमोली एवं देहरादून।
6-- नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरॉचल शासन।
7-- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
8-- अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तरॉचल।
9-- गार्ड फाईल।

संलग्नः यथोक्त

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

शासनादेश सं0– 5482/II–2006–03(03)/06, दि0 17 नवम्बर, 2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. स.	जनपद/प्राक्कलन का नाम	प्राक्कलन की मूल लागत	टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत
	जनपद देहरादून		
1	लखवाड़ बांध निर्माण खण्ड–4 डाकपत्थर के अन्तर्गत अनावासीय भवनों के अनुरक्षण एवं जीर्णोद्वार का प्राक्कलन	260.14	केवल मरम्मत कार्य 140.25
2	जनपद देहरादून के अन्तर्गत अनावासीय भवनों के जीर्णोद्वार एवं नवीनीकरण का प्राक्कलन	59.00	केवल मरम्मत कार्य 53.51
	योग जनपद देहरादून	319.14	193.76
	जनपद चमोली		
1	सिंचाई खण्ड, चमोली के अन्तर्गत अनावासीय भवनों के अनुरक्षण एवं जीर्णोद्वार का प्राक्कलन	9.31	9.17
	योग जनपद चमोली	9.31	9.17
	जनपद रूद्रप्रयाग		
1	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत अनावासीय भवनों के अनुरक्षण एवं जीर्णोद्वार का प्राक्कलन	7.07	7.00
	योग जनपद रूद्रप्रयाग	7.07	7.00
	जनपद पौड़ी		
1	गढ़वाल सिंचाई खण्ड, लैन्सडोन के अन्तर्गत अनावासीय भवनों के अनुरक्षण एवं जीर्णोद्वार का प्राक्कलन	37.83	36.68
2	जनपद पौड़ी के अन्तर्गत अनावासीय भवनों के जीर्णोद्वार एवं नवीनीकरण का प्राक्कलन	19.46	19.46
	योग जनपद पौड़ी	57.29	56.14
	कुल योग	392.91	266.07

(रूपये दो करोड़ छासठ लाख सात हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।